

**अनुदान संख्या 7 – औषध विभाग**  
**GRANT No. 7 - DEPARTMENT OF PHARMACEUTICALS**

कुल अनुदान  
Total  
grant

वास्तविक व्यय  
Actual  
expenditure

बचत-  
Saving -

(हजार रुपयों में)  
(In thousands of rupees)

<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	461,29,00		
			1758,20,00	1713,04,83
पूरक	Supplementary	1296,91,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			45,14,00

<b>पूंजीगत:</b>	<b>Capital:</b>			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	9,12,00		
			148,12,00	145,09,00
पूरक	Supplementary	139,00,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			3,03,00

**टीका और टिप्पणियां**

**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-
1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"			
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas			
मू.	O.	3771.00		
पू.	S.	2425.00	..	..
पु.	R.	-6196.00		..

कुल अनुदान  
Total  
grant

वास्तविक व्यय  
Actual  
expenditure

बचत-  
Saving -

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2852"	Major Head "2852"				
उद्योग	Industries				
मू.	O.	40685.00			
पू.	S.	127266.00	169752.00	169751.38	-0.62
पु.	R.	1801.00			

(I) ₹6196.00 लाख का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹6195.00 लाख मुख्य शीर्ष— "2552" – "औषध निर्माण उद्योग" निम्नलिखित शीर्षों के तहत लेखाबद्ध किए गए:—

(का) "राष्ट्रीय औषध निर्माण शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर)" – ₹5545.00 लाख; और

(खा) "जन औषधि स्कीम" – ₹650.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2852" – "रसायन और औषध निर्माण उद्योग – औषधि और औषध निर्माण – औषध निर्माण उद्योग का विकास" – ₹12441.00 लाख के मूल प्रावधान को मार्च, 2022 में ₹7797.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹20238.00 लाख किया गया, जो तथापि, कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण ₹4530.42 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹318.74 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 53 प्रतिशत थी।

(I) Provision of ₹6196.00 lakhs remained wholly unutilized under three heads; of these ₹6195.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" – "Pharmaceuticals Industries" – under the following heads: -

(A) "National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER)" – ₹5545.00 lakhs; and

(B) "Jan Aushadhi Scheme" – ₹650.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilized due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head "2852" – "Chemical and Pharmaceuticals Industries – Drugs and Pharmaceuticals – Development of Pharmaceuticals Industry" – the original provision of ₹12441.00 lakhs was augmented to ₹20238.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹7797.00 lakhs in March, 2022, which however, remained unutilized to the extent of ₹4530.42 lakhs – due to receipt of less proposals.

(III) Under one head saving of ₹318.74 lakhs occurred constituting 53 percent of the sanctioned provision.

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹6738.00 लाख) निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रयुक्त हो गईं, जैसाकि मुख्य शीर्ष "2852" – "रसायन और औषध निर्माण उद्योग – औषधि और औषध निर्माण" के अंतर्गत ₹21370.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था –

(I) "राष्ट्रीय औषध निर्माण शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर)" ₹6088.00 लाख।

(II) "जन औषधि स्कीम" – ₹650.00 लाख।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

2. The above savings were partly (₹6738.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of ₹21370.00 lakhs in December, 2021 and March, 2022 under Major Head "2852" – "Chemical and Pharmaceuticals Industries – Drugs and Pharmaceuticals" – under the following heads:-

(I) "National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER)" - ₹6088.00 lakhs.

(II) "Jan Aushadhi Scheme" - ₹650.00 lakhs.

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -  (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
		..

शीर्ष मुख्य शीर्ष "6857" रसायन तथा औषध निर्माण उद्योगों को ऋण	Head Major Head "6857" Loans for Chemical and Pharmaceutical Industries
मू.	O. 912.00
पू.	S. 13900.00
पु.	R. -303.00

(I) ₹3.00 लाख का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) "औषधि तथा औषध निर्माण उद्योग – सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को ऋण – राजस्थान औषधि और औषध निर्माण लि. (आरडीपीएल)" – ₹300.00 लाख के मूल प्रावधान को जुलाई, 2021 में ₹2100.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹2400.00 लाख कर दिया गया, जो, तथापि, कंपनी को राज्य सरकार को अंतरित किए जाने संबंधी प्रस्ताव के प्रक्रियाधीन होने के कारण ₹300.00 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹3.00 lakhs remained wholly unutilized under three heads.

(II) Under "Drugs and Pharmaceutical Industries – Loans to Public Sector and other Undertakings - Rajasthan Drugs & Pharmaceuticals Ltd (RDPL)" – the original provision of ₹300.00 lakhs was augmented to ₹2400.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹2100.00 lakhs in July, 2021 which however, remained unutilized to the extent of ₹300.00 lakhs – due to proposal for transfer of the company to State Government being underway.